पत्रांक– 11/मु० 09–163/2019 1670

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

दिनेश कुमार, भा०प्र०से०
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 7.7.2025

विषयः– **माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में मार्गनिदेश।**

प्रसंगः– अधिसूचना संख्या–1624 दिनांक–02.07.2025 एवं संख्या–1625 दिनांक–02.07.25

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासांगिक विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी की नियमावली अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के तहत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की जानी है।

विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संर्वग) तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद सृजन तथा उसपर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई है।

उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–273 दिनांक–18.02.2021 के द्वारा इन विद्यालयों में दिनांक–31.12.2019 को कटऑफ तिथि मानते हुए लिपिक के रिक्त 1379 पदों अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद यथा 207 पदों को वर्ग–3 (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष 1172 पदों को एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के क्रमशः 1172 पद एवं 1129 पद सृजित किया गया,

1670
7.7.2026

जिसका जिलावार संख्या भी संसूचित है। अधिकांश जिलो द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की गई, परन्तु अभी तक कतिपय जिलों द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है।

वर्तमान में स्वीकृत्यादेश संख्या–2336 दिनांक–23.09.2024 द्वारा राज्य के नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजन करते हुए संबंधित जिलों को विद्यालय की संख्या के अनुरूप पद वितरित किया गया है। साथ ही 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2024 तक राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी के सेवानिवृति/ पदत्याग/मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति पर भी विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति किया जाना था। इसके अतिरिक्त 18.02.2021 के पश्चात् विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त कर्मी के सेवानिवृति/पदत्याग/मृत्यु से भी रिक्ति उत्पन्न होने की संभावना है। उपर्युक्त सभी रिक्त पदों पर वर्तमान में नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर पूर्व में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 में निहित निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई किया गया था, जिस पर विभागीय पत्रांक–3066 दिनांक–30.12.2024 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु रोक लगायी गयी है, को विलोपित किया जाता है।

वर्तमान में **"बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 एवं "बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025"** अधिसूचित है।

विभिन्न जिलों के मृत शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जिलों को आवंटित पदों पर उक्त नियमावली में निहित निदेश के आलोक में अनुकम्पात्मक नियुक्ति किये जाने हेतु निम्नवत् निदेश/समय तालिका निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	नियुक्ति संबंधित गतिविधि	निर्धारित तिथि
01	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि	दिनांक–06.07.2025 से 16.07.2025 तक
02	मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची की तैयारी	दिनांक–17.07.2025 से 21.07.2025 तक
03	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक–22.07.2025
04	औपबंधिक सूची पर आपत्ति	दिनांक–23.07.2025 से 25.07.2025 तक
05	आपत्तियों का निराकरण	दिनांक–26.07.2025 से 28.07.2025 तक
06	मेधा सूची का अन्तिम प्रकाशन	दिनांक–29.07.2025
07	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र का मिलान/जाँच	दिनांक–30.07.2025 से 31.07.2025 तक

1670
7.7.2025

08	उक्त नियमावली में वर्णित अनुकंपा समिति के समक्ष सभी आवेदनों को नियुक्ति के विचारार्थ रखना।	दिनांक–01.08.2025
09	अनुकंपा समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा	दिनांक–04.08.2025 तक
10	नियुक्ति पत्र का वितरण	दिनांक–06.08.2025

सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जायेगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं माने जायेंगे। रिक्तियों के गणना में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 273 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा संसूचित पदों में से दिनांक–18.02.2021 के पश्चात् नियुक्त किए गए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के बाद अवशेष पदों, दिनांक–01.01.2020 से 31.12.2024 तक विहित वेतनमान के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) की सेवानिवृति /त्यागपत्र/मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति एवं दिनांक–18.02.2021 के पश्चात् नियुक्त विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के सेवानिवृति/त्यागपत्र/मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2336 दिनांक–23.09.2024 द्वारा स्वीकृत पदों में जोड़ते हुए रिक्ति की गणना की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–7095 दिनांक–15.07.2021 सह पठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक–10527 दिनांक–14.09.2021 एवं पत्रांक–8472 दिनांक 30.05.2022 में निहित निदेश अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रभावी मानी जायेगी।

अतः निदेश है कि उक्त वर्णित दिशा–निर्देश एवं तालिका के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी की रिक्ति की गणना कर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाय। साथ ही इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–1 एवं 2 में सूचना भेजना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु०- यथोक्त

(दिनेश कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक– 11/मु०–9–163/2019 ....1670 पटना, दिनांक–7.7.2025

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित नियोजन ईकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

प्रपत्र–1

जिला का नाम – ....

पदनाम	पूर्व से कार्यरत विहित वेतनमान के लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल) की सेवानिवृति/त्यागपत्र /मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति					
	दिनांक–01.01.2020 से दिनांक–31.12.2020 तक रिक्ति	दिनांक–01.01.2021 से दिनांक–31.12.2021 तक रिक्ति	दिनांक–01.01.2022 से दिनांक–31.12.2022 तक रिक्ति	दिनांक–01.01.2023 से दिनांक–31.12.2023 तक रिक्ति	दिनांक–01.01.2024 से दिनांक–31.12.2024 तक रिक्ति	कुल रिक्ति
लिपिक						
चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल)						

प्रपत्र–2

जिला का नाम – ....

पदनाम	स्वीकृत्यादेश संख्या–273 दिनांक–18.02.2021 के द्वारा संसूचित विद्यालय सहायक के 1172 एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या					
	जिला को आवंटित पदों की संख्या	उन पदों की संख्या जिनपर 18.02.2021 के पश्चात् नियुक्ति की गई है	सेवानिवृति/त्यागपत्र /मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति	कुल कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या	रिक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3–4)**	**6=(2–5)**	**7**
विद्यालय सहायक						
विद्यालय परिचारी						

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/मु०-09-163/2019 (अंश) 2336 पटना, दिनांक 23/09/2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा : वित्त विभाग

विषयः- राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यर्पित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, अर्हता, सेवाशर्त्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। नवसृजित 6421 पदों पर भी विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के अनुरूप ही संगत कार्रवाई की जाएगी।

3. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विद्यालयों हेतु 6421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है। इन विद्यालयों के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यो के निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजन किया जाय, ताकि विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कार्यों को सामान्य रूप से संचालित किया जा सके।

4. राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक का पद प्रतिमाह 16,500/- (सोलह हजार पाँच सौ) रूपये के नियत मानदेय एवं 500/- (पाँच सौ) रूपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया गया है। सृजित पदों पर आवश्यकतानुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जायेगा। जिन विद्यालयों के लिए 6421 पदों का सृजन किया गया है उससे संबंधित जिलावार संख्यात्मक सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

Prashashi Padwarn Samiti Vidyalay Sahayak

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध करायेगें।

6. उक्त नियत वेतन पर 6421 सृजित पदों पर नियोजित/नियुक्त होने वाले विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षो से किया जायेगा।

7. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–24.07.2024 को आहूत बैठक में सहमति प्राप्त है।

8. उक्त पद सृजन पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–10.09.2024 की बैठक में मद संख्या–44 के रूप में सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अमित कुमार पुष्पक)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु०–09–163/2019 (अंश).2336 पटना, दिनांक 23/09/2024

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

ज्ञापांक : 11/मु०–09–163/2019 (अंश).2336 पटना, दिनांक 23/09/2024

प्रतिलिपि :– सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/सभी जिला नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव/आई०टी०मैनेजर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/24

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

Prachachi Padwarg Samiti Vidyalay Sahayak

अनुलग्नक–I

राज्य में अवस्थित नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची		
क्र०सं०	जिला का नाम	नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
1	पटना	210
2	नालन्दा	149
3	भोजपुर	147
4	बक्सर	88
5	रोहतास	166
6	कैमूर	121
7	गया	258
8	जहानाबाद	59
9	अरवल	33
10	नवादा	142
11	औरंगाबाद	140
12	मुजफ्फरपुर	305
13	सीतामढ़ी	184
14	शिवहर	44
15	वैशाली	232
16	पूर्वी चम्पारण	341
17	पश्चिमी चम्पारण	277
18	सारण	240
19	सिवान	226
20	गोपालगंज	185
21	दरभंगा	268
22	मधुबनी	296
23	समस्तीपुर	318
24	सहरसा	121
25	सुपौल	144
26	मधेपुरा	131
27	पूर्णिया	208
28	अररिया	186
29	किशनगंज	117
30	कटिहार	202
31	भागलपुर	174
32	बाँका	130
33	मुगेंर	65
34	शेखपुरा	36
35	लखीसराय	75
36	जमुई	130
37	खगड़िया	96
38	बेगूसराय	177
	कुल	**6421**

(अमित कुमार पुष्पक) 2/2/24

उप सचिव,शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/मु0 9–163/2019 273 पटना, दिनांक 18-2-21

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय : राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत शिक्षकेत्तर कर्मियों, यथा– लिपिक के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियत वेतन पर क्रमशः 16,500/– एवं 15,200/– प्रतिमाह पर विद्यालय सहायक के 1172 एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पद सृजित करने के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत शिक्षकेत्तर कर्मियों, यथा– लिपिक के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियत वेतन पर क्रमशः 16,500/– एवं 15,200/– प्रतिमाह पर विद्यालय सहायक के 1172 एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 के तहत विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के सृजन एवं नवसृजित पदों पर नियोजन आदि के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :–

(i) राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) का पद (संवर्ग) तत्काल प्रभाव से मरणशील होगा।

(ii) इस संवर्ग के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पद क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के रूप में समपरिवर्तित हो जायेंगे।

(iii) लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के वर्तमान में रिक्त पदों एवं सेवानिवृति/ मृत्यु/पद त्याग या अन्य कारणों से होने वाली रिक्तियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष की समाप्ति अर्थात प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रूप में नियोजन हेतु प्रत्यार्पित मानते हुए स्वीकृत माना जाएगा। परन्तु वर्त्तमान में प्रवृत बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1983 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान के आलोक में वर्ग–IV (आदेशपाल) से वर्ग–III (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में वर्ग–IV (आदेशपाल) के पद पर कार्यरत सभी कर्मियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति/पदत्याग/मृत्यु /सेवामुक्ति के उपरांत उक्त सुरक्षित पद को भी प्रत्यार्पित मानते हुए वह पद विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा।

(iv) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के

अधीन राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों पद पर नियोजन हेतु सक्षम नियुक्ति प्राधिकार वही होगा जो संबंधित जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार हैं।

3. राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत शिक्षकेत्तर कर्मियों, यथा–लिपिक के 3249 पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 6484 पद राज्य सरकार अन्तर्गत जिला संवर्ग में स्वीकृत है। दिनांक–31.12.2019 को कट–अफ मानते हुए इन विद्यालयों में लिपिक के 1379 पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 पद रिक्त है।

4. उक्त विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 के आलोक में इन विद्यालयों में लिपिक के रिक्त 1379 पदों अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद यथा 207 पदों को वर्ग–III (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष 1172 पदों को प्रत्यार्पित किया जाता है। साथ ही, चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पद को प्रत्यार्पित किया जाता है। तद्नुरूप विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के क्रमशः 1172 पद एवं 1129 पद नियोजन हेतु स्वीकृत किया जाता है। इसका जिलावार विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराऐंगे।

5. संचिका संख्या–11/मु0 9–163/2019 के पृष्ठ 42/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या–11/मु0 9–163/2019 के पृष्ठ 48/टि० पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/2/21
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः 11/मु0 9–163/2019......273 पटना, दिनांक 18-2-21

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/2/21
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः 11/मु0 9–163/2019......273 पटना, दिनांक 18-2-21

प्रतिलिपि : शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सभी निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/2/21
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः 11/मु0 9–163/2019...273 पटना, दिनांक 18-2-21

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/2/21
सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक–1

क्र0	जिला का नाम	राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सहित) में लिपिक के प्रत्यापित पदों की संख्या	राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सहित) में विद्यालय सहायक के नवसृजित पदों की संख्या	राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सहित) में आदेशपाल के प्रत्यापित पदों की संख्या	राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सहित) में विद्यालय परिचारी के नवसृजित पदों की संख्या
1	वैशाली	42	42	25	25
2	बेगूसराय	53	53	21	21
3	सहरसा	16	16	4	4
4	नवादा	18	18	49	49
5	पटना	48	48	167	167
6	अरवल	17	17	20	20
7	गोपालगंज	31	31	11	11
8	छपरा	64	64	94	94
9	जमुई	32	32	25	25
10	किशनगंज	13	13	15	15
11	प0 चम्पारण	25	25	9	9
12	अररिया	15	15	15	15
13	कटिहार	13	13	4	4
14	सुपौल	24	24	17	17
15	मधुबनी	60	60	26	26
16	दरभंगा	13	13	9	9
17	बक्सर	34	34	24	24
18	नालंदा	57	57	50	50
19	कैमूर	14	14	29	29
20	भोजपुर	44	44	32	32
21	मधेपुरा	21	21	13	13
22	समस्तीपुर	55	55	5	5
23	जहानाबाद	10	10	19	19
24	सिवान	30	30	41	41
25	रोहतास	53	53	72	72
26	गया	25	25	69	69
27	मुंगेर	16	16	17	17
28	भागलपुर	27	27	14	14
29	बॉका	22	22	21	21
30	पूर्वी चम्पारण	44	44	64	64
31	मुजफ्फरपुर	61	61	32	32
32	औरंगाबाद	52	52	9	9
33	खगड़िया	19	19	10	10
34	लखीसराय	21	21	14	14
35	सीतामढी	41	41	50	50
36	पूर्णियॉ	21	21	23	23
37	शिवहर	7	7	4	4
38	शेखपुरा	14	14	6	6
	कुल–	1172	1172	1129	1129

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या–11/मु 9–163/2019 .... पटना, दिनांक ....

विषयः– राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप **से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन तथा उस पर पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।**

वर्त्तमान में [redacted] है। ये राज्य सरकार के कर्मी हैं। विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल का क्रमशः न्यूनतम एक पद एवं दो पद सृजित है। [redacted]

2. इन विद्यालयों में सहायक शिक्षक का पद मरणशील घोषित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक, नगर माध्यमिक शिक्षक एवं नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन वर्ष 2006 में किया गया। साथ ही, बिहार जिला परिषद् माध्यमिकएवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 का गठन करते हुए जिला परिषद्, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के माध्यम से इन पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

3. वर्त्तमान में यह प्रावधानित है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के कार्यरत शिक्षक जो वर्ष 2006 से पूर्व के नियुक्त हैं (जिनका संवर्ग मरणशील है) एवं वर्ष 2006 के बाद पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के साथ–साथ विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों (लिपिक एवं आदेशपाल) की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके अर्हताधारी आश्रितों को वर्ष 2006 एवं उसके बाद अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों के अधीन ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षण की योग्यता के साथ–साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फलस्वरुप अनुकम्पा पर नियोजन होने में व्यावहारिक कठिनाई हो रही है और परिणामस्वरुप माननीय न्यायालयों में इससे संबंधित वाद लगातार दायर हो रहे हैं।

4. उक्त वस्तुस्थिति पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

(i) राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) का पद (संवर्ग) तत्काल प्रभाव से मरणशील होगा।

(ii) इस संवर्ग के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पद क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के रूप में समपरिवर्तित हो जायेंगे।

(iii) लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के वर्तमान में रिक्त पदों एवं सेवानिवृति/मृत्यु/पद त्याग या अन्य कारणों से होने वाली रिक्तियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष की

समाप्ति अर्थात प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रूप में नियोजन हेतु प्रत्यार्पित मानते हुए स्वीकृत माना जाएगा। परन्तु वर्त्तमान में प्रवृत बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1983 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान के आलोक में वर्ग–IV (आदेशपाल) से वर्ग–III (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में वर्ग–IV (आदेशपाल) के पद पर कार्यरत सभी कर्मियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति/पदत्याग/मृत्यु /सेवामुक्ति के उपरांत उक्त सुरक्षित पद को भी प्रत्यार्पित मानते हुए वह पद विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा।

(iv) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के अधीन राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों पद पर नियोजन हेतु सक्षम नियुक्ति प्राधिकार वही होगा जो संबंधित जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम अन्तर्गत शिक्षक के पद पर निंयुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार हैं।

5. विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया एवं अर्हता :–

<u>विद्यालय सहायक के संबंध में</u> :–

(क) विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा।

(ख) विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा, उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ग) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/कॉन्सिल से इण्टरमीडिएट/उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम छः माह का डिप्लोमा की अर्हत्ता आवश्यक होगा।

(ङ) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(च) अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑन–लाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जायेगा।

(छ) नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। इण्टरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा। पैनल की अनुमान्यता 01 वर्ष के लिए होगी। पैनल एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुणा तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन सूची का निर्माण किया जायेगा। औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियो का टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा करते हुए उसे अंतिम रूप दिया

(ज) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित) के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा।

(झ) नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निदेश शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

विद्यालय परिचारी के लिए :-

(क) विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा, उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ख) इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ग) नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी एवं कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑन-लाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जायेगा।

(च) नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। मैट्रिक के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा। पैनल की अनुमान्यता 01 वर्ष के लिए होगी। पैनल एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुणा तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए चयन सूची का निर्माण किया जायेगा।

(छ) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित) के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा।

(ज) नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निदेश शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

6. **अनुकम्पा पर नियोजन :-**

अनुकम्पा पर नियोजन से संबंधित वर्त्तमान प्रावधान जो विभागीय आदेश ज्ञापांक-336 दिनांक-07.03.2019 के तहत प्रवृत्त है, को यथावत् रखते हुए दिनांक-01.07.2006 के उपरांत सेवाकाल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात् जिला परिषद् अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अर्हता के अनुरुप संबंधित आश्रित को क्रमशः विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन होने पर संबंधित आश्रित को परिवीक्षा अवधि में नियोजन इकाई द्वारा आहूत टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त जाँच परीक्षा में निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को विद्यालय परिचारी के पद की

उपलब्धता की स्थिति में उस पर समायोजन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार किया जा सकेगा। विद्यालय परिचारी का पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को सेवामुक्त कर दिया जायेगा। सीधी नियोजन से संबंधित अन्य अर्हताएं शिथिल रहेगी। कुल रिक्त पद के अधिकतम 50 प्रतिशत पद अनुकम्पा पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा। अनुकम्पा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी के मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन देना आवश्यक होगा। यह शर्त्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व सेवाकाल में मृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल रहेगी।

7. **विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा शर्त्त :–**

क. जिला परिषद्/नगर निकाय अन्तर्गत नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित होंगे। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए परिवीक्षा अवधि क्रमशः एक वर्ष एवं छः माह का होगा। उनका नियत वेतन क्रमशः 16,500/– प्रतिमाह, एवं 15,200/– प्रतिमाह होगा। संतोषजनक सेवा के आधार पर विद्यालय सहायक को 500/– एवं विद्यालय परिचारी को 400/– वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगा। जिला परिषद् एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी।

ख. आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश संबंधित विद्यालयों में जिला परिषद् एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को देय अवकाश के समान होगा। साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया इनपर भी प्रभावी होगा।

ग. **स्थानान्तरण** :– यह दोनों पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। संबंधित कर्मी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरूद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेंगे।

घ. **अनुशासनिक कार्रवाई** :– नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के संबंध में यदि उनसे अपेक्षित व्यवहार के अनुरुप कार्य नहीं करने, नियंत्री पदाधिकारी–सह–प्रधानाध्यापक एवं उच्च स्तर से प्राप्त निदेशों का सम्यक अनुपालन नहीं करने या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा या सरकारी राशि के गबन का मामला संज्ञान में लाया जाएगा तो कर्मी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति के आधार पर उन्हें लघु दंड या वृहत् दंड देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। लघु दंड देने के पूर्व संबंधित कर्मी से एक बार स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक होगा। वृहत् दंड देने से पहले औपचारिक रुप से जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर उनसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर संबंधित कर्मी की प्रतिक्रिया प्राप्त कर दंड अधिरोपित किया जायेगा।

<u>लघु दंड :–</u>

(i) निन्दन।

(ii) लापरवाही अथवा आदेश की उल्लंघन के कारण विद्यालय को उनके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि को उनके वेतन से पूर्ण अथवा आंशिक वसूली।

(iii) नियत वेतनवृद्धि पर रोक (संचयात्मक या असंचयात्मक)।

<u>वृहत् दंड :–</u>

(i) सेवा की समाप्ति।

ङ. **<u>अपील</u>** :– नियोजन एवं सेवा शर्त्त के संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला अपीलीय

अपीलीय प्राधिकार निर्णय/आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर की जा सकती है।

8. इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल के पद पर नियुक्ति से संबंधित पूर्व से प्रवृत बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1983 (समय–समय पर यथा संशोधित)/परिपत्र के तहत सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा नियुक्ति सहित) पर रोक रहेगी। साथ ही, इस प्रावधान को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाई के निराकरण की शक्ति शिक्षा विभाग की होगी।

9. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–11/मु 9–163/2019 .... पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–11/मु 9–163/2019 .... पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>: (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि वे अपने स्तर से भी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सचिव को अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहेंगे।

(3) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी /उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9–163/2019 ..1128.... पटना, दिनांक 21-8-2020

<u>प्रतिलिपि</u>: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पत्रांक–11/मु0 9–163/2019 (अंश)......3053

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

योगेन्द्र सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19/12/24

विषयः– **राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक तथा विद्यालय परिचारी के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1128, दिनांक–21.08.2020 द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संवर्ग) तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद सृजन तथा उसपर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई।

उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक– 273 दिनांक–18.02.2021 के द्वारा इन विद्यालयों में दिनांक–31.12.2019 को कटऑफ तिथि मानते हुए लिपिक के रिक्त 1379 पदों अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद यथा 207 पदों को वर्ग–3 (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष 1172 पदों को एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के क्रमशः 1172 पद एवं 1129 पद सृजित किया गया, जिसका जिलावार संख्या भी संसूचित है। इन पदों के 50 प्रतिशत पदों पर अनुकंपा के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्ति किया जाना था। अधिकांश जिलो द्वारा

नियुक्ति की कार्रवाई की गई है, परन्तु अभी तक कतिपय जिलों द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है।

वर्तमान में उत्क्रमित/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालयों में भी विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 6421 पदों का सृजन किया गया है। साथ ही 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2024 तक राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी के सेवानिवृति पद त्याग/मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति पर भी विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 18.02.2021 के पश्चात् विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त कर्मी के सेवानिवृति/पद त्याग/मृत्यु से भी रिक्ति उत्पन्न हुयी होगी। उपर्युक्त सभी रिक्त पदों पर वर्तमान में नियुक्ति की जानी है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–1 एवं 2 में वांछित सूचना पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(योगेन्द्र सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

प्रपत्र–1

जिला का नाम – ....

पदनाम	पूर्व से कार्यरत विहित वेतनमान के लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल) की सेवानिवृति/त्यागपत्र /मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति					
	दिनांक 01.01.2020 से दिनांक–31.12.2020 तक रिक्ति	दिनांक 01.01.2021 से दिनांक–31.12.2021 तक रिक्ति	दिनांक 01.01.2022 से दिनांक–31.12.2022 तक रिक्ति	दिनांक 01.01.2023 से दिनांक–31.12.2023 तक रिक्ति	दिनांक 01.01.2024 से दिनांक–31.12.2024 तक रिक्ति	कुल रिक्ति
लिपिक						
चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल)						

प्रपत्र–2

जिला का नाम – ....

पदनाम	स्वीकृत्यादेश संख्या–273 दिनांक–18.02.2021 के द्वारा संसूचित विद्यालय सहायक के 1172 एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या					
	जिला को आवंटित पदों की संख्या	उन पदों की संख्या जिनपर 18.02.2021 के पश्चात् नियुक्ति की गई है	सेवानिवृति/त्यागपत्र /मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति	कुल कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या	रिक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3–4)**	**6=(2–5)**	**7**
विद्यालय सहायक						
विद्यालय परिचारी						

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक 2-7-21

संचिका संख्या : 11/मु 9-163/2019 278/ विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के तहत विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के सृजन एवं नवसृजित पदों पर नियोजन आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके कंडिका 6 में अंकित है कि अनुकम्पा पर नियोजन से संबंधित वर्त्तमान प्रावधान जो विभागीय आदेश ज्ञापांक-336 दिनांक-07.03.2019 के तहत प्रवृत्त है, को यथावत् रखते हुए दिनांक-01.07.2006 के उपरांत सेवाकाल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात् जिला परिषद् अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अर्हता के अनुरुप संबंधित आश्रित को क्रमशः विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी।

2. उक्त संकल्प में अंकित है कि बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत जिला परिषद् एवं नगर निकाय यथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के अधीन राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा।

3. उक्त संकल्प में प्रावधानित है कि कुल रिक्त पद के अधिकतम 50 प्रतिशत पद अनुकम्पा पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा। अनुकम्पा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी के मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन देना आवश्यक होगा। यह शर्त्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व सेवाकाल में मृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल रहेगी।

4. इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-273 दिनांक-18.02.2021 के तहत राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत शिक्षकेत्तर कर्मियों, यथा- लिपिक के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियत वेतन पर क्रमशः 16,500/- एवं 15,200/- प्रतिमाह पर विद्यालय सहायक के 1172 एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. उक्त संकल्प में यह भी अंकित है कि राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सीधी नियुक्ति (अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित) के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा। अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु आरक्षण संबंधित प्रावधानों को लागू करने के निमित्त विभिन्न स्तरों से पृच्छाऐं की जा रही हैं।

6. उक्त पृष्ठभूमि में संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020, पंचायतीराज संस्था/नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के लिए अधिसूचित नियमावली 2020 एवं बिहार अधिनियम-3, 1992 की धारा-3(घ) को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं:-

(i) विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद नवसृजित है। इसलिए इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के लिए रोस्टर पंजी अलग-अलग संधारित किए जायेंगे।

(ii) विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की नियुक्ति जिलास्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(iii) विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का आरक्षण–समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(iv) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–273 दिनांक–18.02.2021 के तहत विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण–समाशोधन कराने के उपरांत अधिकतम 50 प्रतिशत पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन आरक्षण बिन्दु को ध्यान में रखकर किया जाए।

(v) अनुकंपा के आधार पर नियोजन में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं माने जायेंगे।

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए संगत नियोजन नियमावली 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन में किया जाएगा।

(vii) जिला स्तर पर अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या उपलब्ध रिक्त पद से अधिक होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के सेवाकाल में मृत्यु की तिथि के अवरोही क्रम में किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में इसमें विचलन किया जा सकता है।

7. विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 के तहत विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करने के उपरांत ही प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित समय तालिका के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जाए।

उक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही, अनुकंपा के आधार पर नियोजन में आरक्षण संबंधित प्रावधान पर सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त है।

ह0/–
(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11/मु 9–163/2019 978 पटना, दिनांक 9-7-21

प्रतिलिपिः (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि वे अपने स्तर से भी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सचिव को अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहेंगे।

(3) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11 / मु 9–163 / 2019 978 पटना, दिनांक 9-7-21

प्रतिलिपिः (1) निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग / प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc